International Journal of Applied Research 2017; 3(5): 228-232

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(5): 228-232
www.allresearchjournal.com
Received: 05-03-2017
Accepted: 06-04-2017

KM Seema
Department of History
University of Rajasthan,
Jaipur, Rajasthan, India

Correspondence
KM Seema
Department of History
University of Rajasthan,
Jaipur, Rajasthan, India

राजस्थान में महिला प्रस्थिति

KM Seema

महिलाओं की प्रस्थिति समाज के विकास की सूचक है। महिलाओं की प्रस्थिति जितनी अधिक सुदृढ़ होगी, उस देश का विकास उतना ही उन्नत होगा। महिलाओं की प्रस्थिति महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को इंगित करती है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार, समुदाय व राष्ट्र घूमता है। महिलाओं की प्रस्थिति का मूल्यांकन महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुविधा, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पहुँच से किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की प्रस्थिति की अवधारणा को बताते हुए उसको दर्शाने वाले सूचकों का भी विश्लेषण किया गया है।

राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह सात संभागों एवं तैंतीस जिलों में विभाजित है तथा 241 तहसीलों, 222 शहरी ईकाइयों एवं 41353 गाँवों से बना है। राजस्थान को महिलाओं की निम्न प्रस्थिति, पुरुष प्रधान समाज, सामन्ती प्रथा का बाहुल्य, जातीय आधार पर सामाजिक ध्रुवीकरण, अशिक्षा एवं गरीबी के पर्याय के रूप में देखा गया है।[1]

प्राचीन समाज में स्त्रियों के प्रति सुरक्षात्मक उपायों के रूप में कई कुप्रथाएँ प्रचलित हो गई। मादा शिशु भ्रूण-हत्या, बाल-विवाह, सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बहुपत्नी विवाह आदि जैसी प्रथाओं ने स्त्री की स्थिति को निम्नतम बिन्दु पर पहुँचा दिया। इसके लिये हमारे समाज की सोच और उनकी पुरुषवादी मानसिकता को भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जाता है।[2]

यद्यपि ''संविधान द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे महिलाओं की शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच हो सके परन्तु इन अधिकारों का वास्तविक जगत में उपयोग राज्य में प्रभावपूर्ण ढंग से न होने के कारण महिलाओं की प्रस्थति में बहुत अधिक सुधार नहीं हो पाया है।[3]

महिला प्रस्थितिः अवधारणा

''महिला प्रस्थिति, महिला की परिवार व समाज में स्थान बताती है। यह समाज में महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं से बनती है- एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्रियाओं में सहभागिता के रूप में। महिला को किसी निश्चित समय में समाज में जो स्थान दिया जाता है वह उस समय उसकी प्रस्थति का घोतक है।''[4]

इसका तात्पर्य उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक क्षेत्र में सहभागिता के साथ-साथ निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हैं। महिलाओं की प्रस्थिति सुदृढ़ होने से उनके शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तरों पर प्रभाव पड़ता है जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छ रहता है, बौद्धिक स्तर उच्च होता है।[5] परिणामस्वरूप महिलाएं समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान को प्राप्त करती हैं। यह एक सापेक्षिक धारणा है जो समाज के दृष्टिकोण एवं मूल्यांकन पर निर्भर करती है और इसी कारण विभिन्न समाज में महिलाओं की प्रस्थिति भिन्न-भिन्न पायी जाती है।[6]

''राजस्थान में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन से महिलाओं की प्रस्थिति में आधारभूत परिवर्तन हुआ है। महिलाओं ने अपनी बहुआयामी क्षमताओं के द्वारा समाज, प्रदेश, राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण

भूमिका निभायी है। महिलाओं में शिक्षा के प्रसार एवं औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उन्हें आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। फलस्वरूप उनकी प्रस्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ हुई है।''[7]

महिला प्रस्थिति: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

महिलाओं की प्रस्थिति में समय के साथ-साथ परिवर्तन हुआ है। प्रस्तुत परिच्छेद में महिलाओं की प्रस्थिति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की गई हैं। यह प्राचीन काल से वर्तमान समय तक से संबंधित हैं।[8]

स्वतंत्रता से पूर्व

इसमें समयावधि को तीन भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न है:

प्राचीनकाल

वर्तमान समय में ऐसा कहा जाता है कि यह पुरुष प्रधान समाज है, जहां ''प्राचीनकाल से ही महिलाओं को पुरुषों की दासी एवं दासता, अत्याचार, शोषण, गुलामी इत्यादि को सहने वाली नारी के रूप में चित्रित किया जाता है, किन्तु सत्यता इसके ठीक विपरीत है। यदि हम अत्यंत प्राचीनकाल की बात करें तो ''उस समय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति सुदृढ़ थी। समाज में उनका स्थान सम्मानजनक, आदरणीय, मर्यादायुक्त एवं आदर्शात्मक था। उन्हें जीवन साथी का चयन, शिक्षा, सम्पत्ति आदि के अधिकार प्राप्त थे। ये महिलाएं शौर्य, पराक्रम वीरता में निपुण थीं।''[9]

''वैदिक काल में पुत्र और पुत्री के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक कार्यों में बहुत अधिक अन्तर नहीं था। पुत्र की भाँति पुत्री भी उपनयन, शिक्षा, दीक्षा एवं यज्ञादि की अधिकारिणी थी।[10] उस युग में ऐसी अनेक विदुषी स्त्रियाँ थी, जिन्होंने ऋगवेद और अन्य वेदों की अनेक ऋचाओं का प्रणयन किया था। ''लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, घोषा आदि ऐसी ही विदुषी व महापंडित स्त्रियाँ थीं। शिक्षा, ज्ञान और विद्वता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि यज्ञ कार्यों में भी वे अग्रणी थीं।''[11]

वही मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों के विवाह-विच्छेद, तलाक की अनुमति थी। समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा हमें मौर्यकाल से देखने को मिलती है जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। वहीं गुप्त काल में नारी का आदर्शमय चित्रण है परन्तु व्यवहारिक रूप में उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा दयनीय हो गई थी।[12]

प्राचीनकाल में महिलाओं को सामाजिक रीति रिवाजों, शिक्षा के अवसरों, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, आर्थिक गतिविधियों में भूमिका तथा सार्वजनिक आयोजनों में पुरुषों के समान ही अवसर प्राप्त थे।[13]

मध्यकाल

मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात मुस्लिम शासकों के काल में महिलाओं की सुरक्षा के भाव तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में उपस्थित हुई चुनौतियों की पृष्ठभूमि में महिलाओं की सामाजिक और सार्वजनिक भूमिका को क्रमशः सीमित कर दिया गया। अतः सामाजिक व सार्वजनिक गतिविधियों में नगण्य भूमिका के उपरान्त भी वे परिवार के आर्थिक ढांचे पर निर्भर नहीं अपितु उसमें सक्रिय सहभागी थीं।[14]

''अतः मुगलकाल में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गयी। इस समय महिलाओं द्वारा पर्दा रखना प्रारम्भ हुआ और उनकी भूमिका चार दीवारी तक ही सीमित हो गई।[15] समाज में बाल-विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्यावध जैसी कुरीतियों की शुरूआत हो गई। बाल विवाह की प्रथा के प्रचलन के परिणाम स्वरूप समाज में विधवा विवाह की अनुमति नहीं दी।[16]

राजस्थान में सती प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी जिसमें पतिव्रता स्त्री का अपने पति की चिता के साथ जलना एक पुनीत कार्य समझा जाता था। इन सबके परिणामस्वरूप महिलाओं की समाज में प्रस्थिति बिगड़ती चली गई। इस बिगड़ी प्रस्थिति के पीछे शिक्षा का अभाव था जिसने स्त्री के जीवन को अन्धकारमय बना दिया।[17]

ब्रिटिश काल

ब्रिटिश काल में स्कूल महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खुलने के कारण महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिये कई कानून भी पास किए। सती प्रथा उन्मूलन कानून 1889, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून 1889, बाल विवाह 1929 बनाए गए, जिससे सामाजिक कुरीतियाँ सीमित हो जाएं।[18] 1813 के चार्टर एक्ट के तहत सर्वप्रथम शिक्षा की स्थिति को सुधारने का कदम उठाया गया। शिक्षा के प्रचार-प्रसार से राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी महिलाओं की प्रस्थिति को सुधारने एवं उत्थान के लिये समाज सुधारकों ने भी प्रयास किए।[19]

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती आदि ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये अथक प्रयास किए। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। अतः इस काल में महिलाओं को कुछ अधिकार एवं स्वतंत्रता दी गयी जिससे महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार आया।[20]

स्वतंत्रता के पश्चात

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में ''समान कार्य के लिये समान वेतन'', महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार एवं अधिनियम बनाए गए। संवैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त महिलाओं के लिये कई विधान पारित किए गए, जिससे महिलाओं की प्रस्थिति सुदृढ़ हो सके। महिला शिक्षा का तीव्र प्रसार किया गया। कई विश्वविद्यालय, कॉलेज व स्कूल केवल महिलाओं के लिये खोले गए। अन्य शिक्षण संस्थानों और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की बदौलत यह दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में एक है।[21]

''अतः शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा एवं पंचायत समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में लोक सभा में महिलाओं की भागीदारी कुल सीट की 4.4 थी, जो 2001 में 8.16 प्रतिशत हो गई। महिलाएं

प्रशासनिक पदों पर भी आरूढ़ हुई है। इन सबके परिणामस्वरूप महिलाओं की प्रस्थिति में काफी सुधार हुआ है।[22]

''वर्तमान समय में अनेक प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं में चेतना आई है। अब वे पहले के मुकाबले अपने-अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो गई हैं, जिसमें मीडिया की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। बलात्कार, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं को उजागर करने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई, जिससे हर आय वर्ग के लोग, जिनका उस घटना से कोई निजी लेना-देना नहीं था, वे भी अपने अधिकारों एवं इंसाफ के लिये सड़कों पर उत्तर आए। इनके पश्चात कितने ही महिला हेल्पलाइन खुले एवं पुलिस स्टेशनों पर महिलाओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लिया जाने लगा है।[23]

''जन संचार माध्यमों ने महिलाओं को केवल उनके अधिकारों के विषय में ही जागरूक नहीं किया है वरन उन्हें स्वावलंबी बनाने, उनकी आर्थिक-राजनीतिक स्थिति सुधारने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।[24]

अत: मीडिया को चाहिए कि महिलाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर करे। साथ ही साथ उन्हें एक ऐसा मंच भी प्रदान करे जिससे वे अपने आपको इस पुरुष प्रधान समाज के समक्ष बराबरी में खड़ा कर सकें।[25]

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार, समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों को संयुक्त रूप से महिला विकास कार्यक्रमों के निर्माण, इनके सकल क्रियान्वयन व प्रगति को सुनिश्चित करते हुए महिलाओं को साक्षर, स्वावलम्बी, व सशक्त बनाने के लिये हर संभव प्रयास करने होंगे।[26]

राजस्थान में महिला प्रस्थिति के सूचक

''महिलाएं राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा भाग है। महिलाएं, राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं की प्रस्थति को सुधारने हेतु समय-समय पर प्रयास किए गए जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार आया है। प्रस्तुत परिच्छेद में महिलाओं की प्रस्थिति को दर्शाने वाले सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकीय सूचकों का विश्लेषण किया गया है।[27]

सामाजिक सूचक

सामाजिक सूचक महिला की समाज में प्रस्थिति को दर्शाते हैं। महिलाओं की परिवार एवं समाज से संबंधित निर्णयों में सहभागिता एवं स्वतंत्रता महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति का सूचक हैं। यह सहभागिता व स्वतंत्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही महिलाओं की प्रस्थिति सुदृढ़ होगी।[28]

➢ परिवार से संबंधित दैनिक कार्यों में निर्णय सहभागिता व स्वतंत्रता

''**राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण** [NFHS, 1998-99] की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 82.3 प्रतिशत महिलाएं भोजन पकाने से संबंधित कार्यों में स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र थी।''[29]

➢ परिवार के सदस्यों से संबंधित निर्णयों में सहभागिता एवं स्वतंत्रता

महिलाओं के द्वारा बच्चों की शिक्षा से संबंधित निर्णय, जैसे स्कूल के चयन में स्वतन्त्रता, बच्चे की शिक्षा के माध्यम (अंग्रेजी, हिन्दी) का चयन, बच्चे की व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता महिला प्रस्थिति को दर्शाती हैं। बच्चों के विवाह से संबंधित निर्णय महिलाओं के द्वारा लेना भी उनकी अच्छी प्रस्थिति को दर्शाता है।[30]

➢ रिश्तेदारों के घर जाने की स्वतंत्रता

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998-99) रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल 8.4 प्रतिशत महिलाएं ही पैतृक घर जाने एवं भाई-बहन के घर जाने में स्वतंत्र निर्णय लेती थीं जबकि 39.3 प्रतिशत महिलाएं पति की सहमति से जाती हैं। इस प्रकार महिलाओं को घर से बाहर जाने में अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। इनको पति पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अच्छी सामाजिक प्रस्थिति को नहीं दर्शाता है।[31]

➢ बाजार जाने की स्वतंत्रता तथा मनोरंजन संबंधित स्वतंत्रता

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS, 1998-99) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल 19 प्रतिशत महिलाओं को ही बाजार जाने के लिये अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। मनोरंजन से संबंधित, जैसे- बाहर घूमने जाना, इसके लिये वाहन का प्रयोग करना, टी.वी. देखना, खेलना एवं बाहर चलचित्र देखने जाना, किट्टी पार्टी में जाने के लिये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना महिलाओं की अच्छी प्रस्थिति को दर्शाता है।[32]

आर्थिक सूचक

आर्थिक सूचक, महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं व सेवाओं तक पहुंच से संबंधित हैं। कतिपय आधारभूत आर्थिक सूचक निम्न हैं:-

रोजगार

''महिलाओं की रोजगार में पहुंच उनको आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं एवं आत्मनिर्भर बनाती है जिससे वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। अत: रोजगार महिला की प्रस्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। राज्य में विभिन्न सामाजिक परम्पराओं व रूढ़ियों के कारण महिलाएं रोजगार में पुरुषों की तुलना में काफी पीछे है।''[33]

''देश की खुशहाली व समृद्धि का रास्ता गाँव की गलियों से होकर गुजरता है।'' इस तथ्य को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के विकास, खुशहाली व समृद्धि के लिये कृषि, पशुपालन, लघु, कुटीर व हथकरघा उद्योगों में महिलाओं के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी योजनाओं व कार्यक्रमों को संचालित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन क्षेत्र में महिलाओं की उत्पादकता, कौशल व दक्षता में अभिवृद्धि संभव हो सके। जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी तथा वे निर्धनता के दुश्चक्र से मुक्त हो सकेंगी।''[34]

उल्लेखनीय है कि जब तक महिलाएं ''गरीबी'' का दंश झेल रही हैं तब तक उनकी साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण संबंधी प्रावधानों की चर्चा करना व्यर्थ हैं। इसलिये यह सर्वाधिक आवश्यक है कि गरीबी निवारण कार्यक्रमों व महिला विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा व प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि महिला विकास व सशक्तीकरण जैसे जटिल किन्तु महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।[35]

2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला कार्यसहभागिता दर 33.48 प्रतिशत थी जो एक दशक की तुलना में अधिक है परन्तु भारत की तुलना में यह अभी भी काफी कम है।[36]

व्यावसायिक वितरण

''राज्य में 1991 की जनगणना के अनुसार औद्योगिक श्रेणी के अनुसार महिलाओं का काश्तकार, खेतीहर मजदूर, पारिवारिक उद्योगकर्मी एवं अन्यकर्मी में क्रमशः 69.34 प्रतिशत 18.23 प्रतिशत, 1.72 प्रतिशत एवं 5.59 प्रतिशत था जोकि 2001 की जगणना के अनुसार क्रमशः 67.02, 16.44, 276 एंव 13.78 प्रतिशत हो गया।''[37]

अतः यह महिलाओं का असंगठित उद्योगों से संगठित उद्योगों की ओर स्थानान्तरण है। यह दर्शाता है कि राजस्थान में महिलाओं की प्रस्थिति रोजगार की दृष्टि से पहले से अच्छी हुई।''[38]

आय

महिलाओं की आय, महिलाओं की प्रस्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। महिलाओं के लिये आय अर्जित करना ही सुदृढ़ प्रस्थिति को नहीं दर्शाता बल्कि स्वयं द्वारा अर्जित आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने की शक्ति भी सुदृढ़ प्रस्थिति को दर्शाती है। अतः महिलाओं की आय से संबंधित सूचनाएं पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं।[39]

घरेलू आर्थिक निर्णयों में सहभागिता एवं स्वतंत्रता

राज्य में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 49.2 प्रतिशत महिलाएं दैनिक वस्तुओं की खरीद में स्वतंत्र रूप से या अपने पति के साथ मिलकर निर्णय लेती थी जबकि टिकाऊ वस्तुओं के सदंर्भ में महिलाओं का यह प्रतिशत कम (40.5) था।[40] आज भी राज्य में अधिकांशतः महिलाएं (80 प्रतिशत) खरीददारी से संबंधित निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है।[41]

स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उनके समग्र व संतुलित विकास को सुनिश्चित करने व उनको विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने हेतु अनेक विधायी उपाय, कल्याणकारी योजनाओं व विकास कायक्रमों को मूर्त रूप प्रदान किया। देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है।''[42] इसके साथ ही संविधान में महिलाओं को परम्परागत बंधनों से विमुक्त करवाने के लिये विशेष रियायतों व प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है।[43]

जनांकिकीय सूचक

महिलाओं की प्रस्थिति की जनांकिकीय सूचक भी प्रभावित करते हैं। ये सूचक निम्न है:

शिक्षा

शिक्षा, महिलाओं के बौद्धिक विकास व सामान्य जागरूकता के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अतः यह महिलाओं की प्रस्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ''राजस्थान में 1991 में महिला साक्षरता 20.44 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2001 में 44.34 प्रतिशत हो गयी। महिलाओं की शिक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाने का शिक्षा सशक्त माध्यम हैं।[44] यही नहीं, ''राधाकृष्ण आयोग ने पढ़ी-लिखी माता को घर की 'भाग्य विधाता' के आदर्श वाक्य से संबोधित किया है।''[45]

लिंगानुपात

''लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से हैं। लिंगानुपात कम होना यह दर्शाता है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। राजस्थान में लिंगानुपात 2001 की जनगणनानुसार में 922 था, यह केरल की तुलना में काफी कम था (1058)। यह महिलाओं की बहुत अच्छी प्रस्थिति को नहीं बताता है।''[46]

विवाह आयु

''महिलाओं की कम आयु में विवाह होने के कारण महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास रूक जाता है। महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार से वंचित रहना पड़ता है। ''राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण'' (2001) की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो गया।[47]

विवाह की आयु अधिक होने पर महिलाएं अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाती हैं, जिससे महिलाओं का बौद्धिक विकास होता है एवं वह अपने प्रजनन संबंधी निर्णयों को स्वयं ले सकती है। राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन अधिक है और यह महिलाओं की बहुत अच्छी प्रस्थिति का सूचक नहीं है।[48]

कुल प्रजनन दर

''कुल प्रजनन दर का अधिक होना यह दर्शाता है कि महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं, जो कि महिलाओं एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। ''राजस्थान में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण'' (2001) की रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर 3.2 थी इस दर का ऊँचा होना बताता है कि महिलाओं का प्रजनन संबंधित निर्णयों पर नियंत्रण नहीं है। राज्य में सामाजिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों के कारण महिलाएं अधिक बच्चों को जन्म देती है।[49]

मातृ मृत्यु दर

''महिलाओं में मातृ मृत्यु दर का अधिक होना दर्शाता है कि प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात महिलाओं के स्वास्थ्य का अच्छी तरह से

ध्यान नहीं रखा जाता है। यह महिलाओं की कमजोर प्रस्थिति को इंगित करता है। राजस्थान में मातृ मृत्युदर 1998 में 670 प्रति लाख पायी गयी है। यह मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है।''[50]

जीवन प्रत्याश

''जीवन प्रत्याशा महिला की जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा का उच्च होना स्वास्थ्य के अच्छे होने का सूचक हैं। राजस्थान राज्य में 2000 में महिलाओं की की जीवन प्रत्याशा 61.1 वर्ष पायी गयी जो 2001 में कुछ बढ़कर 61.3 वर्ष हो गयी। जोकि महिलाओं की अच्छी प्रस्थिति की ओर संकेत करती है।''[51]

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य में महिलाओं की प्रस्थिति में काफी सुधार आया है। राज्य में शिक्षा के प्रसार से समाज में महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, साथ ही महिलाओं की शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में पहुंच बढ़ाने से महिलाओं की प्रस्थिति सुदृढ़ हुई है। लेकिन अभी भी राजस्थान राज्य की महिलाएं भारत में अन्य राज्यों की तुलना में शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ी हुई है। परिवार एवं समाज में आर्थिक रूप से निर्णय लेने में कम सशक्त हैं।

सन्दर्भ सूची

1. विकास पॅनोरमा: ''राजस्थान एक अवलोकन'' पृ. 5
2. डॉ. एल.आर. भल्ला: राजस्थानी समाज, कला एवं संस्कृति- राजस्थान का सामाजिक जीवन, पृ. 344-345
3. सुभाष काश्यप: भारतीय संविधान (मूल अधिकार) पृ. 82-83
4. गर्वमेन्ट ऑफ इंडिया (1974) ''टूवर्डस इक्यूलिटी रिपोर्ट ऑफ दा कमेटी दा स्टेट्स ऑफ वूमेन इन इंडिया'' मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर, नई दिल्ली, पृ. 83
5. वही, पृ. 83
6. वही, पृ. 84
7. गर्वमेन्ट ऑफ राजस्थान: ''ह्यूमेन डेवलपमेन्ट रिपोर्ट'' (1995) (1999)
8. डॉ. एल.आर. भल्ला, पूर्वोक्त, पृष्ठ - 344
9. वही, पृ. 344
10. द्विजेन्द्रनारायण झा कृष्णमोहन श्री माली, ''प्राचीन भारत का इतिहास'' पृ. 126-127
11. वही, पृ. 126-127
12. वही, पृ. 198-199
13. वही, पूर्वोक्त, पृ. 344
14. डॉ. एल.आर. भल्ला, पृ. 257
15. सतीश चन्द्र: मध्यकालीन भारत पृष्ठ - 381-382
16. वही, पृ. 382
17. वही, पृ. 382
18. बी.एल. ग्रोवर, यशपाल: आधुनिक का इतिहास, पृ. 281-282
19. वही, पृ. 259
20. वही, पृ. 282
21. गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया (1986) ''नेशनल पोलसी ऑन एजूकेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन'' न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमेन रिशोर्स डेवलपमेन्ट
22. वही, ...
23. वही, ...
24. राज्य महिला विकास रिपोर्ट (2001) गवर्मेंट ऑफ इण्डिया
25. कुरूक्षेत्र: ''महिला सशक्तीकरण'', डॉ. ओ. पी. मिश्रा एवं छाया तिवारी, महिलाओं को सशक्त करता मीडिया, पृ. 22
26. वही, पृ. 22
27. गवर्मेंट ऑफ राजस्थान ''ह्यूमेन डेवलपमेन्ट रिपोर्ट (1999)
28. गवर्मेंट ऑफ राजस्थान ''ह्यूमेन डेवलपमेन्ट रिपोर्ट (1999)
29. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे - II (1998-1999) मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, गवर्मेंट ऑफ इण्डिया इंटरनेशनल इनस्टीट्यूट फॉर पोपलेशन साइन्स। Deonar, Mumbai
30. वही, ...
31. वही, ...
32. वही, ...
33. गवर्मेंट ऑफ इण्डिया (1986) ''नेशनल पोलसी ऑन एजूकेशनल प्रोग्राम ऑफ ऐशन'' न्यू देहली, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमेन रिसोर्स डेवलपमेंट
34. वही, ...
35. वही, ...
36. सेनसेक्स ऑफ राजस्थान (2001)
37. सेनसेक्स ऑफ राजस्थान (1991-2001) राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कस और नॉन वर्कस
38. वही, ...
39. वही, ...
40. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट (1998-99)
41. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट (1998-99)
42. सुभाष कश्यप: हमार संविधान, निदेशक तत्व, पृ. 126
43. सुभाष कश्यप: पृष्ठ 127
44. Vaid Divya. Gender INequality in Education Transitions, Economic, Political Weekly Aug. 2001.
45. बी.एल. ग्रोवर यशपाल: ''आधुनिक भारत का इतिहास'' पृ. 261
46. Census of Rajasthan, Series 1, Rajasthan, Provisional Population total, Directorate of Census Operation, Rajasthan.A, 2001.
47. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2001) की रिपोर्ट के अनुसार।
48. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2001) की रिपोर्ट के अनुसार।
49. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2001) की रिपोर्ट के अनुसार।
50. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2001) की रिपोर्ट के अनुसार।
51. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2001) की रिपोर्ट के अनुसार।